

## **ST. XAVIER'S SCHOOL, RAJPUR**

### **ADMISSION NORMS**

St. Xavier's School (A Jesuit Institute) is a Minority Institution and hence the management has the right to admit and retain students in this school according to its policy, in conformity with the provisions and instructions issued by the appropriate authority from time to time (Article No. 29 and 30 rights granted by the Constitution of India and upheld by the Supreme Court of India).

1. St. Xavier's School is CBSE affiliated to Delhi from 1 April 2022 onwards with vide Affiliation No. 3330423.
2. It follows all the guidelines/rules/bylaws/syllabus and procedures of CBSE.
3. It demands standard infrastructures/disciplines and quality education.
4. It demands punctuality and time bound informations from the management and students. CBSE Norms and guidelines changes time to time.
5. Teacher's students ratio 1:40 is to be maintained strictly.
6. The School admits ONLY those students who abide by the norms/rules/systems of the management.
7. Academic Session comprises of TEN calendar months and academic fee follows accordingly in all situations (unpredicted holidays, pandemic, lockdown, govt. programs, etc). No fee reduction will be made for broken periods.
8. To meet the growing expenses of the school and salary to the teachers each year 8% of the total fee will be increased.
9. Parents/guardians are warned that admissions are made strictly according to the guidelines prescribed by the Governing Body of the School.
10. Any pressure for admission by offer of donation, letter of recommendation by any third person or influence of any nature will not be accepted and will automatically disqualify the candidate for admission to any standard.
11. Admissions are done solely by the Management, based on the overall merit of the applicant. Furthermore, no individual connected with the school or otherwise is authorized to accept any emoluments in lieu of admission or office work except prescribed by the Management.
12. ONLY those Parents/guardians who agree the rules and conditions of the school will get the admission forms and will be admitted in the school.
13. Receiving Admission Form alone from the school is not the guarantee of admission in the school.
14. Parents/guardians will sign for the commitment in agreement of the rules of the School Management, as long as the ward's name will be in the school role.

  
Manager/Principal  
**PRINCIPAL**  
ST XAVIER'S SCHOOL  
Rajpur-P.O -Pin 497118  
Distt.- Balrampur (C.G.)

# सेंट जेवियर्स स्कूल, राजपुर

## अडमिशन/प्रवेश संबंधी निर्देश

सेंट जेवियर्स स्कूल (जेसुईट इन्स्टीट्यूट) अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित एक शैक्षणिक संस्था है। स्कूल में विद्यार्थियों को अडमिशन/प्रवेश देने या नहीं देने का अधिकार समय-समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित पूर्वयोजनानुसार स्कूल प्रबंधन के पास सुरक्षित है। यह भारत के संविधान – अनुच्छेद क्रमांक 29 और 30 द्वारा प्राप्त अधिकार है तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित है।

1. सेंट जेवियर्स स्कूल राजपुर का 1 अप्रैल 2022 से सी0बी0एस0ई0/न0 3330423 दिल्ली से संबद्धता है।
2. यह स्कूल सी0बी0एस0ई0 के सभी निर्देशों/नियमों/पाठ्यक्रमों/बायलॉज एवं प्रक्रियाओं को पालन करने के लिए बाध्य है।
3. सी0बी0एस0ई0 स्कूल के आधारभूत संरचना/सुविधा/अनुशासन/गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मानक (स्टैन्डर्ड) की मांग करता है।
4. सी0बी0एस0ई0 स्कूल प्रबंधन और विद्यार्थियों से सभी क्षेत्रों में समय पाबंदी एवं तत्काल जानकारी की मांग करता है। समय-समय पर बोर्ड नियमों एवं निर्देशों में परिवर्तन करता है।
5. कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात (राशियों) 1:40 निर्धारित है।
6. विद्यालय उन्हीं विद्यार्थियों को अडमिट/प्रवेश देगा जो स्कूल के नियमों/अनुशासन/सिद्धान्तों का ईमानदारीपूर्वक पालन करेंगे। विद्यालय में जाति, धर्म या वर्ग विशेष के आधार पर अडमिशन नहीं होता है।
7. शैक्षणिक सत्र रोमन कैलन्डर के दस महीने का है और विद्यालय का शुल्क उसी के अनुसार निर्धारित है, जो सभी परिस्थितियों में, जैसे अघोषित छुट्टियों, महामारी, शासकीय प्रोग्राम, इत्यादि में भी लागू होगा। शिक्षण शुल्क में किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी।
8. रोजमर्रा के बढ़ते महगाई एवं कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के मद्देनजर प्रत्येक वर्ष कुल फीस में 8 % की बढ़ोत्तरी होगी।
9. अभिभावकों/पालकों को सचेत किया जाता है कि अडमिशन प्रक्रिया विद्यालय शासी समिति द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशानुसार ही किया जाएगा।
10. अडमिशन के लिए किसी प्रकार की भेंट या सिफारिश पत्र या किसी भी प्रकार के दबाव/प्रभावी पहुँच अस्वीकार्य होगा। ऐसे स्थिति में अभ्यर्थी स्वतः ही अडमिशन के लिए अयोग्य माना जाएगा।
11. बीच कक्षाओं में अभ्यर्थी का अडमिशन मेरिट के आधार पर सिर्फ प्रबंधन के द्वारा लिया जाता है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को जो स्कूल से जुड़ा नहीं है, अडमिशन या ऑफिस काम के लिए स्कूल प्रबंधन किसी प्रकार का मेहताना लेने का अधिकार नहीं देता है।
12. वे ही अभिभावक/पालक जो विद्यालय के नियमों तथा शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं, अडमिशन फॉर्म प्राप्त कर विद्यालय में प्रवेश दिलाने के पात्र होंगे।
13. सिर्फ अडमिशन फॉर्म प्राप्त करना विद्यालय में अडमिशन/प्रवेश की गारंटी नहीं है।
14. अन्त में अभिभावक/पालक को विद्यालय प्रबंधन द्वारा बनाये गये नियमों के परिपालन हेतु पूर्ण सहमति देने के लिए शपथ-पत्र में हस्ताक्षर करना होगा और जो स्कूल में छात्र/छात्रा के अन्तिम दिन तक वैध होगा।

  
प्रबंधक/प्राचार्य  
**PRINCIPAL**  
ST XAVIER'S SCHOOL  
Rajpur-P.O -Pin 497118  
Distt.- Balrampur (C.G.)